# राजस्थान सरकार

## निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर

क्रमांकःप.2 / लेखा / स्टोर / 2016–17 / 7621–25 दिनांकः 6-4-16

मैसर्स (1) जोगेन्द्र सिंह, दुर्गादास नगर, लोहागल-अजमेर (2) मैसर्स साबिया टूर & ट्रेवल्स, अजमेर
(3) मैसर्स अंबिका टूर & ट्रेवल्स, अजमेर
अजमेर

विषयः– **मासिक आधार पर किराये के वाहन लिए जाने बाबत ।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय हेतु निम्न विवरण अनुसार मासिक आधार पर वाहन लगभग चार वाहन (स्वीफट,इण्डिगो,इण्डिका कार / एम्बेसडर कार आदि)एक वर्ष 31.3.2017अथवा आगामी वर्ष हेतु दर अनुमोदित होने तक के लिए किराये पर लिए जाने हेतु दरे आमंत्रित की जाती है। :–

| क्र.सं. | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| 1 | न्यूनतम 1500 किमी. तक (मासिक) | किराया रू...............प्रति माह मय वाहन चालक एवं पी.ओ.एल. |
| 2 | निर्धारित किमी से अधिक चलने पर | दर रू......................प्रति किमी. |
| 3 | रात्रि विश्राम भत्ता | दर रू......................प्रति रात्रि विश्राम . |

**वाहन किराये पर लिए जाने बाबत अन्य शर्तें निम्नानुसार हैः–**

1– वाहन से यात्रा राजस्थान के किसी भी जिले के लिये की जा सकती है । वाहन के फयूल एवं रख रखाव / मरम्मत आदि का व्यय एवं वाहन चालक के वेतन आदि का भुगतान ट्रैवल एजेन्सी / वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेगे।

2– वाहन टैक्सी परमिट रजिस्टर्ड होना चाहिए एवं पॉच वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए।

3– टोल टैक्स के अतिरिक्त सभी कर ट्रैवल एजेन्सी / वाहन मालिक द्वारा वहन किये जावेगे। ट्रैवल एजेन्सी / वाहन मालिक द्वारा चुकाये गये टोल टैक्स का पुनर्भरण इस संबधी रसीद प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा भुगतान कर दिया जावेगा।

4– नियमानुसार आयकर (टी.डी.एस), सर्विस टैक्स आदि की कटौती ट्रैवल एजेन्सी / वाहन मालिक के भुगतान से की जावेगी।

5– वाहन जिसे राजकार्य पर लगाया जावेगा उस वाहन पर डयूटी के दौरान **ON GOVT-DUTY** की प्लेट लगानी होगी।यात्रा समाप्ति के पश्चात उक्त प्लेट कार्यालय में जमा करानी होगी।

6– विभाग द्वारा चयनित ट्रैवल एजेन्सी / वाहन मालिक को प्रत्येक वाहन हेतु अमानत राशि के लगभग 15000 / –(पन्द्रह हजार रूप्ये) पृथक–पृथक जमा कराने होगे।

7– विभाग द्वारा चयनित ट्रैवल एजेन्सी / वाहन मालिक द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाने की स्थिति में स्थानीय बाजार से वाहन किराये पर लिया जाकर उसका भुगतान कर दिया जावेगा तथा उस पर होने वाला व्यय संबंधित फर्म के बिल में से वसूल किया जावेगा तथा इस हेतु राजकार्य में होने वाली बाधा के लिये संबंधित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

8– राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.9(1)एफ डी.1 / बजट / 2012 दिनांक 10 फरवरी 2012 की समस्त शर्तें मान्य होंगी एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबधी किये गये संशोधन मान्य होगे इस बाबत एग्रीमेन्ट प्रस्तुत करना होगा।

**अतः उक्त विवरण एवं शर्तो के अनुरूप यदि वाहन किराये पर विभाग को दिये जाने हेतु सहमत हो तो अपनी दरे दिनांक 25–04–2016 तक कार्यालय मे प्रेषित करावे।**

(हस्ताक्षर)
**सहायक निदेशक**

क्रमांक– प.2 / लेखा / स्टोर / 2016–17 / 7621–25 दिनांकः 6-4-16

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सहायक प्रोग्रामर, आयु.निदेशालय अजमेर को देकर लेख है कि उक्त सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
2. कार्यालय नोटिस. बोर्ड

(हस्ताक्षर)
**सहायक निदेशक**